# न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्रीकान्त व्यास, आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या : 87/17 (वाद)
GCMS No. : 2017/00125

1. श्री चत्तरलाल पिता उदा डांगी निवासी गन्दोली तह. मावली।
2. श्री मानाराम पिता उदा डांगी निवासी गन्दोली तह. मावली।
3. श्रीमती केशीबाई पत्नी उदा डांगी निवासी गन्दोली तह. मावली।
4. श्रीमती लालीबाई पुत्री उदा पत्नी नन्दा डांगी निवासी तुरकिया, रख्यावल तह. मावली।

...........वादीगण

**बनाम्**

1. श्री लालुराम पिता भज्जा डांगी निवासी गोविन्दपुरा तह. मावली।
2. श्री भगाराम पिता भज्जा डांगी निवासी गोविन्दपुरा तह. मावली।
3. श्रीमती खेमणी बेवा भज्जा डांगी निवासी गोविन्दपुरा तह. मावली।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

..............प्रतिवादीगण

**उपस्थित–1.** श्री जयेश कुमार जैन, अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री रोशनलाल डांगी, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

## वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी.
## निर्णय

दिनांक : 14.02.2023

1. वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गन्दोली पटवार हल्का सांगवा की आराजी नम्बर 224, 232, 233, 1212, 1214, 1224, 1225, 1232, 1233, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1275, 1294, 1584, 1585, 1587, 1590, 1657, 1658 किता 23 रकबा 18 बीघा 7 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में चतरूलाल, मानाराम, लालीबाई पिता उदा, केशीबाई पत्नी उदा 1/6 हि.ब., हीरालाल, पुष्करलाल, मनुबाई, मीराबाई, गीताबाई पिता प्रथा, मु. भूरीबाई बेवा प्रथा 1/6 हि.ब., लालुराम, भगाराम पिता भजा, मु. खेमणी बेवा भजा 1/6 हि.ब., भमरू पिता उदा ना.बा.ब.वि.माता लोगरी 1/4, भेरा पिता वरदा 1/4 डांगी सा. देह खातेदार, मु.बि.क. यू.बी.आई. शाखा खेमली, हिस्सा भेरा पिता वरदा 1/4 पर, उदा पिता रामा डांगी का 1/6 हिस्सा दर्ज हैं। वादी द्वारा आराजी नम्बर 233 व 275 आ.चा. को विक्रय पत्र दिनांक 22.10.75 के आधार पर भूमि में घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया। प्रकरण को दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन [illegible] किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 1 से 3 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.17 17:56:08 IST
Reason: SelfAttested

किया कि वादीगण का सम्पूर्ण वाद बार्ड बॉय लॉ है जिस विक्रय पत्र के आधार पर वाद पत्र लाऐ है वह विक्रय पत्र ही फर्जी व बनावटी है वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में यह कथन किया है कि प्रतिवादी सं. 1, 2 के पिता व प्रतिवादी सं. 3 के पति द्वारा बिकाव नामा बताया जा रहा है वह विक्रय पत्र की फर्जी एवं कूट रचित है जो वादीगण को वाद लाने का कोई अधिकार ही नहीं हैं। वादीगण ने अपने वाद पत्र में सभी खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है जबकि धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के वाद में सभी खातेदारों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है उनके खिलाफ कोई भी रिलीफ नहीं चाही गई हो तो जहां अविभाजित सम्पति हो तथा घोषणा का दावा हो तो उस विवादग्रस्त आराजीयात में सभी खातेदारों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है वादीगण ने अपने वाद पत्र में यह कही पर भी उल्लेख नहीं किया है कि अनय खातेदार को पक्षकार क्यों नहीं बनाया है उनके खिलाफ क्या अनुतोष है इस आधार पर भी यह वाद चलने योग्य नहीं है तथा खारिज होने योग्य हैं।

2. वादीगण ने अपने वाद पत्र में यह उल्लेख किया है कि प्रतिवादी सं. 1, 2 के पिता व 3 के पति ने प्रतिफल प्राप्त कर आराजी नम्बर 233 रकबा 15 बिस्वा भूमि का सम्पूर्ण हिस्सा बिकाव कर दिया जबकि दिनांक 22.10.1975 को आराजी नम्बर 233 रकबा 15 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 275 रकबा 12 बिस्वा आ.चा. में 108 वॉ हिस्सा बेचना वादीगण द्वारा बताया जा रहा है गलत हैं चूंकि 1975 में दस्तावेज पंजीयन कराने का भजा को कोई अधिकार नहीं था क्योंकि भजा के पिता की मृत्यु का विरासत नामान्तरकरण सं. 466 दिनांक 15.01.1994 को खुला था तो भजा द्वारा दिनांक 12.10.1975 को बिकावनामा निष्पादन करवाया जाना बिल्कुल ही गलत है। इस आधार पर भी यह वाद चलने योग्य नही हैं।

3. यह कि सम्पति अन्तरण अधिनियम की धारा 7 के अनुसार भजा पिता रामा को सम्पति का अन्तरण करने का कोई टाईटल प्राप्त नहीं था एवं न ही वह अन्तरण का अधिकार था सम्पति का अन्तरण वह व्यक्ति ही कर सकता है जिस को सम्पति का अन्तरण का टाईटल हो व उसे अधिकार प्राप्त हो ''पिता के जीवनकाल में पुत्र पिता की सम्पति को नहीं बिकाव कर सकता है इस आधार पर भी यह वाद खारिज होने योग्य हैं।''

4. वादी ने वाद पत्र में खान दान का सजरा प्रस्तुत किया है परन्तु इसके समर्थन में भी वादी ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है और न ही इस सम्बन्ध में कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिससे कि वादी द्वारा दर्शाया गया सजरा प्रमाणित हो सके इस आधार पर भी वादी का वाद खारिज होने योग्य हैं।

5. यह कि वादी ने इस वाद पत्र में प्रतिवादी सं. 4 को प्रतिवादी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली को भी पक्षकार बनाया है और इन्हे पक्षकार बनाने के लिए वादी ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.17 17:56:08 IST
Reason: SelfAttested

धारा 80(2) का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया है जबकि कानूनन जहां लोक सेवक को किसी वाद को पक्षकार बनाया जाता है तो वहॉ धारा 80 जा.दी. के तहत् दो माह का नोटिस देना आवश्यक है जो नोटिस वादी ने नहीं दिया है अगर प्रार्थना पत्र पेश कर भी दिया है तो उस पर भी लोक सेवक के विरूद्व वाद प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय की स्वीकृति नहीं ली गई है ऐसी अवस्था में वादी का वाद चलने योग्य नहीं हैं।

6. यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व भू. राजस्व अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई अन्तरिती बिना टाईटल के विक्रय पत्र निष्पादित करवाऐ एवं राजस्थान काश्तकार अधिनियम के तहत् वाद ला सके।
7. यह कि वादीगण ने वाद में उल्लेख किया है कि दिनांक 22.10.1975 को निम्न पडौसों के मध्य की भूमि को बिकाव किया है संयुक्त सम्पति में बिना बंटवाडे किये हुए किसी आराजीयात को बिकाव करने का पंजीयन अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं हैं।
8. यह कि वादीगण जिस कथित बिकावनामें दिनांक 22.10.1975 का उल्लेख किया है उसमें भजा के नाम पर कोई सम्पति नहीं थी और भजा का पिता के नाम रामा पिता धन्ना 1/2 का खातेदार था तो दिनांक 22.10.1975 को भजा पिता रामा सम्पूर्ण आराजीयात का पडोसों का उल्लेख कर बिकावनामा सम्पादित करवाया जाना कानूनन गलत है ऐसा कोई प्रावधान भी पंजीयन अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्व हैं।
9. यह कि मुझ प्रतिवादीगण के विरूद्व कोई वाद कारण पैदा नहीं होता है कि क्योंकि वादी जिस आधार बिन्दु यानि विक्रय पत्र के आधार पर जो वाद लाया है वो 40 वर्ष पुराना दस्तावेज है और उक्त दस्तावेज इस बात का द्योतक है कि इतनी लम्बी अवधि बीतने के बाद प्रतिवादीगण के वाद लाना वादी की सोची समझी साजिश को दर्शाता है और कूटरचित व फर्जी दस्तावेज को स्पष्ट करता है और इसी कारण उपरोक्त 40 वर्ष विलम्ब के बाद वाद कारण उत्पन्न करके वाद लाना निरस्त योग्य है और इस आधार पर वादी का वाद प्रोपर वाद कारण के अभाव में निरस्त योग्य हैं। अतः प्रार्थना है कि वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण सव्यय खारिज फरमाया जावें।
10. अधिवक्ता वादीगण/अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस करना चाहा।
11. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 से 3 द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा नजीर RRT 2011 (2) Page 776, RRT 2012 (2) Page 1291, RRT 2010 (2) Page 1443 पेश कर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 CPC का स्वीकार कर वादीगण का वाद खारिज किया जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/वादीगण द्वारा अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.17 17:56:08 IST
Reason: SelfAttested

बहस में वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 से 3 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

12. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। हमने दोनो पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत नजीरों का सद्भावनापूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया। सर्वप्रथम यह देखना है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 मे क्या प्रावधान है जो निम्न प्रकार है–**वादपत्र का नामंजूर किया जाना– वादपत्र निम्न लिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा।**

**(क) जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।**

**(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।**

**(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसे करने में असफल रहता है।**

**(घ) जहां वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।**

**(ड) जहां यह दो प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता है।**

**(च) जहां वादी नियम 9 के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है।**

13. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। नजीरो का अवलोकन किया। हमने वाद पत्र का अवलोकन किया। वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् आराजी नम्बर 233, 275 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.10.75 के आधार पर घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण के विरूद्व पेश किया गया है। उक्त वादग्रस्त आराजी नम्बर 233, 275 वर्तमान में वादीगण, प्रतिवादीगण एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज होकर खातेदार काश्तकार हैं। वादीगण द्वारा भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि क्रय करना बताकर आराजी नम्बर 233, 275 अपने नाम दर्ज करा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया हैं।

14. वादपत्र एवं दस्तावेज के अवलोकन से वादीगण/अप्रार्थीगण द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.10.1975 को भज्जा से क्रय करना जाहिर होता है परन्तु वक्त विक्रय उक्त वादग्रस्त आराजीयात 233, 275 भज्जा के [illegible] के नाम 1/2 हिस्सेनुसार दर्ज थी जो दस्तावेज सेटलमेन्ट विभाग की नकल [illegible] 030 से स्पष्ट होता हैं। भज्जा विक्रय

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.17 17:56:08 IST
Reason: SelfAttested

पत्र के दौरान खातेदार काश्तकार नहीं था। भज्जा द्वारा पिता रामा के जीवित रहते ही उक्त भूमि को विक्रय कर दी हैं। भज्जा के पिता रामा की मृत्यु करीब सन् 1984 में होना विरासत के नामान्तरकरण सं. 466 दिनांक 15.01.94 से जाहिर होता हैं।

15. रहा प्रश्न विक्रय का तो भज्जा वक्त विक्रय वादग्रस्त भूमि का खातेदार ही नहीं था तो विक्रय का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि अपने नाम दर्ज भूमि का ही विक्रय/रहन/बैह/बक्षीस/हस्तान्तरण आदि किया जा सकता हैं। उक्त वादग्रस्त आराजी नम्बर 233, 275 वक्त विक्रय रामा एवं अन्य सहखातेदार के नाम नाम हिस्सेनुसार दर्ज थी। अतः जब तक किसी आराजीयात के सहखातेदार उपलब्ध हो वहां बिना विधिक बंटवाडा करवाये किसी विशेष आराजीयात का विक्रय नहीं किया जा सकता है क्योंकि सहखातेदार की स्थिति में प्रत्येक इंच पर प्रत्येक का कब्जा माना जाता हैं।

16. वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में प्रतिवादी सं. 4 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली को पक्षकार बनाया है परन्तु पक्षकार बनाने के लिए वादी ने धारा 80(2) का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया है जबकि कानूनन जहां लोक सेवक को किसी वाद में पक्षकार बनाया जाता है तो वहॉ धारा 80 जा.दी. के तहत् नोटिस देना आवश्यक है।

17. वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र पेश किया उसमें आराजी नम्बर 233, 275 के अन्य सहखातेदार को पक्षकार नहीं बनाया है क्योंकि वादीगण द्वारा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है उसमें अन्य सहखातेदार भी आवश्यक पक्षकार हैं।

18. इस सम्बन्ध में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नजीरे **RRT 2011 (2) Page 776 "Code of Civil Procedure, 1908-Order 1, Rule 10 & Order 6, Rule 17-Suit for partition-Plaintiff filed an application to implead R, B & L in the suit being necessary party & further prayed for amendment of the plaint-Application allowed-Revision-Parties are the recorded khatedar-Every khatedar is a necessary party-Held, No jurisdictional error in the order", RRT 2012 (2) Page 1291 "Code of civil Procedure, 1908-Order 1, Rule 10-Application dismissed-Non-petitioner has claimed khatedari of the disputed lands-Lands recorded in the name of 'B & S' is necessary & no effective decree can be passed with regards to kh. No. 112, 136 & 137-Held, Order suffered with jurisdictional error & set aside & application allowed.", RRT 2010 (2) Page 1443 "Rajasthan Tenancy Act, 1955-Secs. 53, 88 & 188-R.A.A. allowed the appeal & decreed the suit for partition-Except 'O' respondent No. 1, deceased 'G' executed a Will in favour of appellant & respondent No. 2 to 6-No documentary evidence present on record to prove that the land in dispute was ever recorded in the name of father of 'G'-Earlier the land was record in the name of 'N'-Jamabandi show**

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.17 17:36:08 IST
Reason: SelfAttested

**that the disputed land was not an ancestral land-Regd. Will executed by 'G' is legally valid-Held, Judgment passed by the R.A.A. is set aside.(Land not recorded in the name of father is not an ancestrak land)". एवं "धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 7 की उपधारा (1) के अन्तर्गत दावे में भूमिधारी आवश्यक पक्षकार है और संयुक्त टिनेन्सी की घोषणा में संयुक्त आसामी भी। उन्हे पक्षकार नहीं बनाना घातक है।"** उक्त नजीर इस प्रकरण पर चस्पा होती हैं।

19. अतः उपरोक्त विवेचन, दस्तावेज एवं नजीरों के आधार पर वादीगण का वाद घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय हाजा में चलने योग्य नहीं होने से बार्ड बाई लॉ पाया जाता हैं। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 से 3 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत् स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद बार्ड बाय लॉ होने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत आने से बार्ड बाय लॉ पाया जाता है। अतः वादीगण का वाद बार्ड बाय लॉ होने से प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 से 3 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार योग्य पाया जाता है।

20. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाता हैं।

## —: आदेश :—

प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाने से वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकर कर खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.17 17:56:08 IST
Reason: SelfAttested

# डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

## बईजलास श्रीकान्त व्यास, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री चत्तरलाल पिता उदा डांगी निवासी गन्दोली तह. मावली।
2. श्री मानाराम पिता उदा डांगी निवासी गन्दोली तह. मावली।
3. श्रीमती केशीबाई पत्नी उदा डांगी निवासी गन्दोली तह. मावली।
4. श्रीमती लालीबाई पुत्री उदा पत्नी नन्दा डांगी निवासी तुरकिया, रख्यावल तह. मावली।

.....वादीगण

**बनाम्**

1. श्री लालुराम पिता भज्जा डांगी निवासी गोविन्दपुरा तह. मावली।
2. श्री भगाराम पिता भज्जा डांगी निवासी गोविन्दपुरा तह. मावली।
3. श्रीमती खेमणी बेवा भज्जा डांगी निवासी गोविन्दपुरा तह. मावली।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

## वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

## मुकदमा न0 : 87/14 (वाद) GCMS No. : 2014/00125

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रीकान्त व्यास R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाने से वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकर कर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 14.02.2023 को जारी की गई।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.17 17:56:08 IST
Reason: SelfAttested